फर्द अहकाम

कार्यालयः— न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर
अनवानः— गणेशलाल बनाम रामसिंह
किस्म मुकदमाः— आ.नि. पत्रावली संख्याः— 05/24

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सुचनाएँ जारी की गई।

19/05/2026

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि ग्राम माल की टूस की आराजी संख्या 26 रकबा 2.7500 हैक्टयेर भूमि में से 0.6500 हैक्टेयर भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 व 2 को किया गया था जिसका आंवटन निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु आप न्यायालय द्वारा प्र.स. 05/23 निर्णय दिनांक 29.12.2025 से आवंटन निरस्ती के आदेश पारित किये गये है जो इसी अनवान एवं प्रार्थना पत्र से सबंधित थे। अतः आप न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.12.2025 के आधार पर प्रार्थीगण के उक्त प्रकरण का भी निर्णय किया जावें।

अधिवक्ता विपक्षी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में राजस्व ग्राम माल की टूस तहसील वल्लभनगर के आराजी संख्या 2491/26 रकबा 0.6500 हैक्टेयर भूमि का दिनांक 14.06.2022 को श्री राम सिंह एवं श्रीमती केसर कुंवर को किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर उक्त भूमि बिलानाम सरकार दर्ज कराये जाने की प्रार्थना की है। चूंकि न्यायालय आप के प्रकरण संख्या 05/2023 आ.नि. निर्णय दिनांक 29.12.2025 से उक्त आवंटन निरस्त कर भूमि पुनः बिलानाम किये जाने के आदेश पारित किये जा चुके है ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र Infructuous हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा जो राहत चाही गई है वह न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 05/2023 आ.नि. निर्णय दिनांक 29.12.2025 से आवंटन खारिज करने से प्राप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र Infructuous हो जाने से प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर
उदयपुर